अपील - नंबर ... 59/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20.12.24	पत्रावली पेश। प्रस्तुत प्रकरण में प्रा.पत्र पक्षकार बनाये जाने का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। न्यायहित में प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है कि प्रा.पत्र संख्या 13 का हक वकील अपीलार्थी का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र पर प्रतीप आदेश जारी किया जाता है। [illegible] दिनांक 23.12.24 को पेश हो।	
23.12.24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ...अवकाश... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक ...2.1.25... को पेश हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
2.1.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.1.25 को पेश हो।	
16.1.25	पत्रावली पेश। बहस अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24.1.25 को पेश हो। मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते
24.1.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट ...रिमाण्ड... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	

मू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 59 / 2023

1 दुर्गाराम पुत्र हनुमाना राम उम्र 62 साल जाति गुर्जर निवासी देवलानाडा (चैनुपुरा) तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 भंवर सिंह पुत्र बच्चन सिंह
2 दयाल पुत्र श्री बच्चन सिंह
3 गोपाल पुत्र श्री बच्चन सिंह
4 रसाल पत्नी किशोर सिंह
5 भवानी पुत्र किशोर सिंह
6 भंवर सिंह पुत्र श्री मंगेज सिंह
7 जोरावर सिंह पुत्र श्री मंगेज सिंह
8 सुमेर सिंह पुत्र श्री मंगेज सिंह
9 राजू कंवर पत्नी मंगेज सिंह
10 छत्तुसिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह
11 नरपत सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह
12 दलीप सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह
13 सरोज कंवर पुत्री सुरजन सिंह
14 सरोज कंवर पुत्री किशोर सिंह
15 कमला कंवर पुत्री किशोर सिंह
16 सीमा कंवर पुत्री किशोर सिंह
17 सिरे कंवर पुत्री बच्चन सिंह
18 भंवरी कंवर पुत्री बच्चन सिंह
19 संतोष कंवर पुत्री बच्चन सिंह
20 किरण कंवर पुत्री बच्चन सिंह
21 विमल कंवर पत्नी उमराव सिंह
22 गिनू कंवर पुत्री उमराव सिंह
23 प्रेम कंवर पुत्री मंगेज सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अधिकारी एव
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

24 अनोप कंवर पुत्री कल्याण सिंह
25 अन्जू कंवर पत्नी सुरजनसिंह
26 छोटी कंवर पुत्री सुरजन सिंह
27 सुप्यार सिंह पुत्री सुरजन सिंह
28 मोहनी कंवर पुत्री सुरजन सिंह
29 फुली कंवर पुत्री सुरजन सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।
30 तहसीलदार तहसील सीकर जिला सीकर राज.।
31 सिरे कंवर पत्नी श्री बिहारीलाल जाति चारण निवासी चारण का बास तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 निर्णय व डिक्री दिनांक
28.11.2022 बउनवानी भंवर सिंह बनाम हनुमानाराम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, सीकर

उपस्थिति :
1. श्री सूरजभान सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.1.25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 122/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 13 ने एक वाद उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 818, 820 वाके ग्राम चैनपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में वाद को दिनांक 14.07.2021 को दर्ज रजिस्टर करने एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किये जाने के आदेश फरमाकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.08.2021 नियत कर दी, दिनांक 13.08.2021 को श्री पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त होने पर पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 15.09.2021 नियत की गई, जिस पर सम्मन पर कोई आदेश नही कर तलबी रजिस्टर्ड डाक से करवाने का आदेश जारी हुए उसके बाद तारीख पेशी दिनांक 23.02.2022 को पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त होना बताया एवं दिनांक 14.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील रजिस्टर्ड भेजे हुए एक माह से अधिक हो चुका है हाजिर नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में आयी गई एवं शेष प्रतिवादी संख्या 3 ता 18 की तामील हेतु पत्रावली नियत कर दी जिस पर वादी ने कोई तामील नहीं पेश की एवं दिनांक 28.11.2022 को बिना किसी युक्ति युक्त विद्यान एवं कारण के प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 18 को प्रफोर्मा प्रतिवादी मानकर तामील की आवश्यकता ही नहीं होना मानकर बंटवारा हेतु प्राथमिक डिक्री गत रूप से जारी की है प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काश्त ही नहीं है, सम्पूर्ण भूमि पर अपीलान्ट का ही कदीमी से कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन रेस्पोडेन्ट ने प्रोसिजर फेलियर कर गलत रूप से एकतरफा प्राथमिक डिक्री पारित करवायी है, तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है। वादी में 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान की मृत्यु दिनांक 16.12.2021 को ही हो चुकी थी इसलिए दिनांक 14.06.2022 को हनुमान के विरूद्ध तामील मानकर एक्सपार्टी किये जाने एवं मृत्यु की दिनांक से करीबन 1 साल बाद दिनांक 28.11.2022 को उसको एक्स पार्टी मानकर प्राथमिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

डिक्री किया जाना नितान्त ही विधि विरूद्ध है। इसलिए भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त होने योग्य है। मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैध है। अपीलान्ट प्रतिवादी हनुमानाराम पुत्र परताराम जाति गुर्जर निवासी देवलानाडा तहसील व जिला सीकर का जायन्दा पुत्र है तथा इसके अलावा और भी प्रथम श्रेणी के वारिसान है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री से हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे है इसलिए धारा 96 सीआरपीसी तहत अनुपति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिसका आवेदन पृथक से मय शपथ पत्र के प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 हनुमानाराम की विरासत के आधार पर आये है। विचारण न्यायालय में हनुमानाराम की जरिये रजिस्टर्ड तामील भिजवाई गई थी। हनुमानाराम के वारिसों द्वारा विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर हनुमानाराम की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 के हितों के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलांट विचारण न्यायालय में उपस्थिति होकर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 हनुमानाराम का पुत्र है। अपील के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हनुमानाराम की मृत्यु दिनांक 16.12.2021 को हो चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2022 को हनुमानाराम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध तामील मानकर विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। हनुमानाराम के पुत्र होने के आधार पर अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना प्रमाणित है। विचारण न्यायालय में सम्यक तामील करवाये बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को इसकी जानकारी नहीं थी। अतः अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर